राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1310/2016/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, भरतपुर — अपीलार्थी

बनाम

सुशीलावंती पत्नी अमीचन्द अरोड़ा,
निवासी– 26, सूर्य नगर, आगरा (उ0प्र0) — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 05.12.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 3, 6 एवं 7 के तहत आरोपित मांग राशियों को अपास्त करते हुए अपीलों को स्वीकार किया है। मांग राशियों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

अपील संख्या	अपीलीय आदेश का विवरण		कर निर्धारण	कर बोर्ड के समक्ष विवादित राशि		
	अपील संख्या	आदेश दिनांक	आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति
1310/2016	233/RET/2014–15/अ.प्रा./भरतपुर	19.11.2015	21.08.2012	1,94,600	50,596	1000

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर की फर्म मै0 अशोक ऑटो सेल्स लि0, अलीगढ़ (उ.प्र.) से एक मोटर वाहन (ट्रक/ट्रेलर) जरिये बिल क्रमांकःC0037/10 दिनांक 13.04.2010 कीमतन रूपये 13,90,000/– में क्रय करके जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर से पंजीयन कराने पर वाहन संख्यांक RJ-05/GA-5930 आवंटित किया गया। वक्त पंजीयन उक्त वाहन पर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कर दायित्व होने के बावजूद प्रत्यर्थी द्वारा न तो वाणिज्यिक कर विभाग से घोषणा पत्र ET-1 प्राप्त कर अन्तर कर चुकाया गया तथा न ही प्रपत्र ET-1 के अभाव में पूर्ण कर चुकाया गया। इस आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3, 6 एवं 7 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.08.2012 के लिए जारी किया गया, किन्तु बावजूद सूचना प्रत्यर्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा

निरन्तर.....2

एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से खरीद कर लाये गये वाहन कीमतन रूपये 13,90,000/– पर 14% से प्रवेश कर रूपये 1,94,600/– एवं शास्ति रूपये 1,000/– तथा देय प्रवेश कर जमा नहीं कराने पर ब्याज रूपये 50,596/– कुल मांग रूपये 2,46,196/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत पेश की गई है।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा है, अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए राजस्व में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी–राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरूद्ध बताया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। उल्लेखनीय है कि मोटर वाहनों में प्रवेश कर अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अनुसार कर जमा करवाने, कर निर्धारण एवं मांग की वसूली आदि के संबंध में RST Act/RVAT Act के प्रावधान यथावत लागू होंगे। RVAT Act, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी वाहन स्वामी आकस्मिक व्यवहारी (casual trader) की श्रेणी में आता है तथा ऐसे व्यवहारियों का कर निर्धारण धारा 28(4) के अनुसार दो वर्षों की समयावधि में पूर्ण कर दिया जाना चाहिये। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में यह कर निर्धारण लगभग चार माह पश्चात किया गया है, जो विधिक समयसीमा से बाहर है (barred by time limit)। सशक्त अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी द्वारा मै0 अशोक ऑटो सेल्स, अलीगढ़ (उ0प्र0) से उपरोक्त वाहन दिनांक 13.04.2010 को क्रय किया एवं जिला परिवहन कार्यालय भरतपुर में पंजीयन कराया गया है, जिसका कर निर्धारण आदेश सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 21.08.2012 को पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा **वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै0 जगदीश प्रसाद, खैरथल व अन्य (36 टीयूडी पेज 161)** में पारित निर्णय में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :–

> The Rajasthan tax on Entry of Motor Vehicles into local Area Act, 1988- Time barred assessment-- The respondent is an individual, is not a tax payer and purchased a jeep for his own use on 17.01.1996 as stated by the Assessing Officer. Therefore, the Assessing Officer by a printed order passed assessment order 24.04.1998 and held the respondent liable to pay the entry tax under section 3, 6 and 7 of the Act of 1998 at Rs.10,340/-, Interest

निरन्तर.....3

Rs.5,377/- and Penalty Rs. 500/- Total Rs. 16,217/-. It is apparent from the perusal of the orders of the AO, DC(A) and Tax board, that the vehicle was purchased on 17.01.1996 but the assessment order was passed by the A.O. on 24.04.1998. The order was passed after more than two years and beyond the time limit contained in Section 10B(1) (3) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954. Both the learned DC(A) as also learned Tax Board came to a finding that order is time barred and could not have been passed after two years. Rajasthan High Court, Bench at Jaipur while dismissing the appeal of the department head that :-

" It is abundantly clear that the respondent can be said to be a causal trader as he was not doing any business and got the vehicle for his own use and falls within the provisions of Section 10B(i)(ii) and assessment was to be completed on or before two years of the transaction therefore, the Tax Board as well as the DC(A) were correct and justified in coming to the conclusion that the assessment made by the petitioner department is contrary to the provisions of the Act and was beyond time prescribed under the law and therefore, the assessment was rightly quashed and set-aside."

6. इसी प्रकार राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–ए कोटा बनाम मै0 सतनाम एस आनन्द, कोटा (2016) 44 टीयूडी पेज 251** निर्णय दिनांक 12.02.2016 में वाहन आयातकर्ता को आकस्मिक व्यवहारी मानते हुए यह निर्णीत किया है कि केजुअल डीलर्स के संबंध में ट्रांजेक्शन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में ही उसका कर निर्धारण किया जा सकता है।

7. विचाराधीन प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै0 जगदीश प्रसाद, खैरथल व अन्य (36 टीयूडी पेज 161) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 के आधार पर अपील स्वीकार की है तथा व्यवहारी को केजुअल ट्रेडर मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित करने की समय सीमा 2 वर्ष मानी है तथा इस आधार पर कर निर्धारण आदेश को कालातीत माना है। विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि ऐसे समान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल एण्ट्री टैक्स रीविजन नं. 186/2007 सीटीओ निम्बाहेड़ा बनाम श्री मीरबहादुर निर्णय दिनांक 05.01.2009 में यह अवधारित किया है कि व्यवहारी को केजुअल ट्रेडर नहीं माना जा सकता तथा ऐसे मामलों में केजुअल ट्रेडर्स के कर निर्धारण के अनुसार समय सीमा नहीं मानी जा सकती। दोनों निर्णयों के अवलोकन से यह पता चलता है कि दोनों में विवाद का बिन्दु समान है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन करने पर यह पाया जाता है कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण बेंच द्वारा Govindanaik G.Kalaghatigi vs West Patent Press Co. Ltd. And Anr. निर्णय दिनांक 26.02.1979 (AIR 1980 Karnataka 92) में निम्न प्रश्न निर्णय हेतु रेफर किया गया है :–

"When there is conflict between two decisions of the Supreme Court, is it the later of the two decisions or the decision of the larger of the Benches which rendered those decisions that should be followed by High Courts and other Courts in the Country?
इस प्रश्न के संबंध में माननीय फुल बैंच द्वारा निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :–

निरन्तर.....4

"If two decisions the Supreme Court on a question of law cannot be reconciled and one of them is by a larger Bench, the decision of the larger Bench, whether it is earlier or later in point of time, should be followed by High Courts and other Court. However, **if both such Benches of the Supreme Court consist of equal number of Judges, the later of the two decisions should be followed by High Courts and other Courts"**

8. इस प्रकार माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की फुल बैंच ने यह अवधारित किया है कि यदि समान संख्या के माननीय न्यायधीशों की बैंच द्वारा पारित निर्णयों में विरोधाभास हो तो बाद की तिथि में पारित निर्णय का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर लागू किया जाये तो दोनों ही निर्णय माननीय एकलपीठ द्वारा पारित किये गये हैं जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै0 जगदीश प्रसाद, खैरथल व अन्य (36 टीयूडी पेज 161) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 बाद की तिथि में पारित निर्णय है, अतः इस एकलपीठ के विनम्र अभिमत में इस निर्णय दिनांक 31.05.2013 का अनुसरण किया जाना चाहिए।

9. इसी मत का अनुसरण करते हुए कर बोर्ड की समन्वित एकलपीठों द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में प्रश्नगत कर निर्धारणों को कालातीत मानते हुए इनकी पुष्टि करने सम्बन्धी अपीलीय आदेश अपास्त किये गये हैं :–

1. सीटीओ बनाम मैसर्स मोहम्मद यासीन अपील संख्या 1139/2017/भरतपुर निर्णय दिनांक 08.10.2018
2. सीटीओ बनाम उदयवीर सिंह अपील संख्या 72/2017/भरतपुर निर्णय दिनांक 18.10.2018

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निर्णीत किया जाता है कि प्रश्नगत मोटर वाहन राज्य के स्थानीय क्षेत्र में दिनांक 13.04.2010 को लाया गया था, जिसके कर दायित्व का निर्धारण दिनांक 12.04.2012 तक कर दिया जाना चाहिये था, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 21.08.2012 को आदेश पारित किया गया है, जो कि कालातीत है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं कर बोर्ड की विद्वान एकलपीठ द्वारा पूर्व में पारित उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

11. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया ।

5.12.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य